



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65247

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8351 वर्ष 2026

जैद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मो० कमर शाह आलम
: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मो० कमर शाह आलम तथा राज्य-प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित श्री उमा शंकर मिश्र, ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक जैद की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 701 वर्ष 2025, धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधिनियम, धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम तथा धारा 109, 3(5) बी.एन.एस., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक सहित तीन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की, किन्तु किसी भी पुलिस कर्मी को अग्निशस्त्र से कोई चोट नहीं आई। यह भी निवेदन किया गया है कि एक देशी तमंचा, कुछ जीवित कारतूस, एक जीवित सांड तथा कुछ वध उपकरण सह-अभियुक्त नदीम एवं अकील के कब्जे से बरामद होना दर्शाया गया है। आवेदक के विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। आवेदक दिनांक 29.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में वादों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया।
5. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक सहित तीन अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई, किन्तु किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आई। यह भी दर्शाया गया है कि एक देशी तमंचा, कुछ जीवित कारतूस, एक जीवित सांड तथा कुछ वध उपकरण सह-अभियुक्त नदीम एवं अकील के कब्जे से बरामद हुए हैं। आवेदक दिनांक 29.12.2025 से निरुद्ध है तथा उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।
6. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति तथा साक्ष्यों का सम्यक् विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला बनता है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक जैद को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर, (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक यह उपबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित रहेगी तथा वाद के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक : 26 मार्च, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”